

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

तलावली चांदा, मांगलिया, इन्दौर— 453771 (म.प्र.)

फोन :— 0731—2811559 दूरभाष :— 0731—28025365, 2811553, 2811162, 2811132

E-mail : sanchi13a@gmail.com

“सॉची स्मार्ट पार्लर संचालन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।”

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत धार, झाबुआ, बड़वानी, खण्डवा एवं खरगौन जिले के निम्न शहरों/कस्बों में सॉची स्मार्ट पार्लर स्थापित एवं संचालित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	जिले का नाम	शहर का नाम	पार्लर की संख्या
1.	झाबुआ	झाबुआ	05
2.	धार	धामनोद मे 03, कुक्की मे 01, सरदारपुर मे 01	05
3.	बड़वानी	बड़वानी मे 04, पानसेमल 01, खेतिया 01, निवाली 01, सेंधवा मे 06	13
4.	खण्डवा	खण्डवा	15
5.	खरगौन	खरगौन	06
	कुल		44

उपरोक्त तालिका अनुसार सॉची स्मार्ट पार्लर संचालित किए जाने हेतु भौतिक रूप से आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक आवेदनकर्ता इस कार्य हेतु आवेदन प्रपत्र एवं अन्य नियम एवं शर्तों की विस्तृत जानकारी www.sanchidairy.com एवं www.mpcdf.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।

एक आवेदनकर्ता द्वारा केवल एक स्थान के लिए ही आवेदन मान्य होगा। इस हेतु पृथक—पृथक आवेदन प्रपत्र तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड किये गये हैं। आवेदन प्रपत्र www.sanchidairy.com एवं www.mpcdf.gov.in से डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र की राशि रु. 200/- इन्दौर दुग्ध संघ में जमा कर पावती आवेदन के साथ संलग्न कर बांधित दस्तावेजों सहित भौतिक रूप से दिनांक 10.10.2022 को सांय 05:00 बजे तक जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदन प्रपत्र निर्धारित तिथि एवं समय उपरांत स्वीकार योग्य नहीं होंगे। प्राप्त सभी आवेदन प्रपत्रों के परीक्षण उपरांत आवंटन की अग्रिम कार्यवाही के संबंध में पात्र आवेदकों को सूचित किया जाएगा। किसी भी आवेदन को सकारण निरस्त/स्वीकृत करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर को होगा।

इस आवेदन में यदि कोई सुधार/संशोधन होता है तो सिर्फ उपरोक्त दर्शित वेबसाइट्स पर ही प्रकाशित किया जावेगा। अन्य और कोई भी माध्यम से प्रकाशित नहीं होगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

आवेदन मूल्य रु. - 200.00

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

इन्दौर दुग्ध संघ कार्यक्षेत्र के
अंतर्गत धार, झाबुआ, बड़वानी,
खण्डवा एवं खरगौन जिले में
साँची पार्लर

आवंटन हेतु आवेदन प्रपत्र

वर्ष - 2022



इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर

चांदा तलावली मांगलिया, इन्दौर 453771

Phone : 0731-2811189, Fax No. 0731-2811559

Email - sanchi13a@gmail.com

सौँची पार्लर/बूथ हेतु आवेदन—पत्र का प्रारूप

सेवा में,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,

रेख्य का
प्रमाणित फोटो
विष्पकार

1. अ) नाम:
ब) पिता/पति का नाम:
2. वर्ग: (आरेक कृपया अपने वर्ग के सम्मुख अकित बॉक्स में सही का निशान लगाए)
 अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति
 अन्य पिछड़ा वर्ग सामान्य वर्ग
3. शैक्षणिक योग्यता:
~~(योग्यता विष्पकारी वायर सेकल्डरी वास्ट)~~
4. पता:
 अ) रथाई पता: (आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करे)
 (दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)
 ब) पत्र व्यवहार का पता:
 (दूरभाष/मोबाइल नंबर के साथ)
5. वर्तमान व्यवसाय/कार्य:
 - व्यवसाय पिता या स्वयं का
 - व्यवसाय रथाई का पता (दूरभाष नंबर)
6. आवेदित स्थल का पता:
7. वित्तीय स्थिति:
 - वर्तमान व्यवसाय की लागत
 - वर्तमान व्यवसाय से आय
 - चल/अचल संपत्ति का विवरण
 - मिल्क पार्लर व्यवसाय हेतु लगाई जाने वाली पूँजी
8. दूध/दुग्ध पदार्थ व्यवसाय का कोई अनुभव (हाँ/नहीं):
 (दस्तावेज संलग्न करे)
9. किसी तरह का अपराधिक/न्यायालयीन प्रकरण (हाँ/नहीं):
 (दस्तावेज संलग्न करे)



(c)

10. जमानतदारः


- (i) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवयसाय / मासिक आय
- (ii) जमानतदार का नाम पूरा पता (दूरभाष सहित) व्यवयसाय / मासिक आय
(एक जमानतदार सरकारी कर्मचारी होना अनिवार्य है)

मिल्क पार्लर आवंटन से संबंधित समर्त शर्तें पढ़ और समझ चुका / चुकी हूँ और मान्य करता / करती हूँ। अतः मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गई समर्त जानकारी पूर्णतः सत्य है।

दिनांक
स्थान

आवेदन का नाम:

हस्ताक्षर



"सॉची स्मार्ट पार्लर संचालन हेतु रिक्त भूमि आवंटन स्थल"

इन्दौर सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, इन्दौर के कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत धार, झाबुआ, बड़वानी, खण्डवा एवं खरगौन मे जिलेवार निम्न शहरों/कस्बों मे सॉची स्मार्ट पार्लर स्थापित एवं संचालित किया जाना है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :—

क्र.	जिले का नाम	रिक्त भूमि आवंटन स्थल
1.	झाबुआ	<ol style="list-style-type: none"> राणापुर रोड भंडारी पेट्रोल पम्प चौराहा रामकृष्ण नगर, झाबुआ ग्रामीण बैंक के सामने झाबुआ मेघनगर नाका, कल्याणपुरा चौराहा झाबुआ राणापुर रोड, गादिया कॉलोनी गेट के पास झाबुआ कलेक्टर कार्यालय परिसर झाबुआ
2.	बड़वानी	<ol style="list-style-type: none"> पुलिस पेट्रोल पम्प के पास बड़वानी नया बस स्टैण्ड पर विद्युत मंडल के पास उपयुक्त स्थल पर बड़वानी कालिका माता मंदिर के सामने पुलिस चौकी के पास उपयुक्त स्थल झण्डा चौक मे सब्जी मंडी के पास पुराने हटाये गए प्रतीक्षालय उपयुक्त स्थल पर नगर परिषद पानसेमल वार्ड क्र. 01 दुर्गा माता मंदिर पानी की टंकी के सामने पानसेमल नगर परिषद खेतिया वार्ड क्र. 13 बस स्टैण्ड कॉम्प्लेक्स खेतिया नगर परिषद निवाली बुजुर्ग वार्ड क्र. 12 बस स्टैण्ड निवाली सार्वजनिक शौचालय के पास मौसम चौराहे के पास लाल किले के सामने सेंधवा सॉई मंदिर के पास बन मंडल अधिकारी के बंगले की दीवार के समीन सेंधवा अम्बेडकर चौराहा पुराना बस स्टैण्ड वाटर ए.टी.एम. सेंधवा आनंदम हॉस्पिटल के सामने सेंधवा पशु चिकित्सालय परिसर के अंदर पुराना ए.बी. रोड सेंधवा किला गेट लाईब्रेरी के पास सेंधवा,
3.	धार	<ol style="list-style-type: none"> नवीन शासकीय अस्पताल धामनोद तहसील कार्यालय परिसर धामनोद पुराना बस स्टैण्ड धामनोद सिविल अस्पताल परिसर कुक्षी कोर्ट एवं तहसील कार्यालय परिसर सरदारपुर

क्र.	जिले का नाम	रिक्त भगि आबंटन स्थल
4.	खण्डवा	<ol style="list-style-type: none"> दादाजी ग्रीन सिटी एन.व्ही.डी.ए. कॉलोनी खण्डवा जिला रोजगार कार्यालय के सामने स्टेडियम के पीछे शांतिनगर केशवकुंज कॉलोनी के मुख्य मार्ग पर लक्की गार्डन के सामने जसवाड़ी रोड कावेरी विहार किशोर नगर गुलमोहर कॉलोनी नन्दा गैस एजेंसी की गली मे मोघट रोड सरस्वती स्कूल के पास हनुमान मंदिर कावेरी विहार बचपन स्कूल के पास बड़गाँव भीला रोड उप संचालक पशु पालन एवं डेयरी कार्यालय के पास किशोर कुमार गांगोली, वार्ड नं. 05 हरसूद नाका भैरव तालाब के पास पदम नगर संजय नगर पुलिया के पास इन्दौर रोड नेहरू स्कूल के पीछे दूध तलाई सर्वोदय कॉलोनी हनुमान मंदिर के पास
5.	खरगौन	<ol style="list-style-type: none"> बस स्टैण्ड, टी.आर.टी. कॉम्प्लेक्स के सामने खरगौन न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी के सामने खरगौन पशु चिकित्सालय परिसर खरगौन सैगाँव बस स्टैण्ड पंचायत कार्यालय के सामने, सैगाँव आजाद चौक भीकनगाँव बस स्टैण्ड बिस्थान

एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिङ डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

शहरी मिल्क पार्लर/बूथ आवंटन नीति

1. कोई भी आवेदक यदि दुग्ध संघ के कार्यक्षेत्र में वांछित स्थान पर मिल्क पार्लर/बूथ आवंटन हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहता है तो उसे दुग्ध संघ के द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करना होगा।
2. आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् संबंधित दुग्ध संघ द्वारा प्राप्त आवेदन एवं आवेदित स्थान का परीक्षण किया जाएगा तदोपरांत उपयुक्त पाए जाने पर दुग्ध संघ द्वारा चिह्नित स्थान का आवंटन हेतु स्थानीय निकाय को प्रस्ताव प्रेषित किया जाएगा। इस प्रस्ताव की प्रति आवेदक को भी दी जाएगी।
3. आवेदक जो स्वयं या उसके परिवार के किसी भी सदस्य यदि पूर्व से ही दूध या दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हों तो उनके आवेदन पर तभी विचार किया जावेगा जब आवेदक यह घोषणा—पत्र आवेदन के साथ संलग्न करे कि पार्लर/बूथ आवंटन की स्थिति में आवेदक अथवा परिवार के सदस्य द्वारा खुले अथवा अन्य ब्राण्ड के दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ का विक्रय पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाएगा। आवेदक यदि पूर्व से सौंची दूध एवं दुग्ध पदार्थों का व्यवसाय कर रहे हो तो उनके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।
4. आवेदक को लिखित में अवगत कराया जाएगा कि यदि 30 दिन के अंदर चिह्नित स्थान पर स्थानीय निकाय से दुग्ध संघ के नाम आवंटन प्राप्त कर लिया जाता है तो आवेदक को उस स्थान पर मिल्क पार्लर/बूथ हेतु एजेंट नियुक्त किया जाएगा।
5. आवेदक को 30 दिन के अंदर चिह्नित स्थान पर स्थानीय निकाय से आवंटन प्राप्त नहीं होता है तो उस आवेदक का आवेदन स्वतः निरस्त समझा जाएगा।
6. आवंटन पश्चात् किसी भी पार्लर/बूथ एजेंट को पार्लर/बूथ पर किसी भी अन्य कम्पनी या उत्पाद के विज्ञापन करवाने की अनुमति नहीं होगी। सौंची पार्लर/बूथ पर दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन के सौंची ब्राण्ड के विज्ञापन ही प्रदर्शित करने होंगे। एमपीसीडीएफ या दुग्ध संघ द्वारा किसी कम्पनी, ब्राण्ड या उत्पाद के सौंची ब्राण्ड के साथ संयुक्त विज्ञापन हेतु यदि बार्टर-डील की जाती है तो तदानुसार दुग्ध संघ के निर्देश पर पार्लर/बूथ पर विज्ञापन प्रदर्शित किए जा सकेंगे।
7. विज्ञापन के माध्यम से प्राप्त आवेदनों में यदि कोई ऐसा आवेदक का आवेदन प्राप्त होगा जिसका संघ में रिकार्ड खराब हो अथवा पूर्व में संघ की नीतियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई हो तो उस आवेदक का आवेदन संघ स्तर पर निरस्त कर दिया जावेगा एवं आवेदन को आवंटन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।



एम.पी. स्टेट को—ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

8. उपरोक्त प्रक्रिया उन सभी नए आवेदकों के लिए व पुराने मिल्क पार्लर्स जिन्हें पुनः आवंटित किया जा रहा है के लिए अपनाई जाएगी जो स्थानीय निकाय के अधीनस्थ स्थान पर व राजस्व विभाग की भूमि पर मिल्क पार्लर आवेदन प्रस्तुत करते हैं।

9. एक स्थापित पार्लर/बूथ के अतिरिक्त उसी क्षेत्र में अतिरिक्त पार्लर/बूथ की स्थापना हेतु इनके बीच की दूरी का निर्धारण ऐसे क्षेत्रों में विक्रय की समावना तथा उपभोक्ताओं की सुविधा आदि को धृष्टिगत रखते हुए दुग्ध संघ स्तर पर किया जाएगा।

10. आवेदक को पार्लर/बूथ आवंटन होने के पश्चात एक माह की अवधि में एफएसएसआई लायसेंस/रजिस्ट्रेशन एवं जीएसटी की प्रति दुग्ध संघ में अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी।

11. दुग्ध संघ के अध्यक्ष, संचालकगण, अधिकारी/कर्मचारी (वर्तमान में कार्यरत) सुपरस्टॉकिस्ट/वितरक—सह—परिवहनकर्ता/परिवहनकर्ता एवं वितरक स्वयं अथवा उनके परिवार के सदस्य पार्लर/बूथ आवंटन हेतु पात्र नहीं होंगे।

12. यदि किसी संस्था प्रमुख द्वारा पार्लर/बूथ स्थान आवंटन के साथ किसी व्यक्ति को पार्लर/बूथ आवंटन हेतु लिखित में अनुशंसा की जाती है तो ऐसे आवेदक को सीधे पार्लर/बूथ आवंटन किया जा सकेगा, बशर्ते कि ऐसा व्यक्ति दुग्ध संघ में डिफॉल्टर ना हो। अन्यथा की स्थिति में समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित कर पात्र आवेदकों में से लॉटरी द्वारा एजेंट का चयन किया जाएगा। यदि एक ही पात्र आवेदन प्राप्त होता है तो ऐसे आवेदक को एजेंट नियुक्त किया जा सकेगा।

13. एमपीसीडीएफ, दुग्ध संघों एवं संबद्ध दुग्ध शीत केन्द्रों/मिनि डेयरी संयंत्रों के मुख्य द्वारा अथवा प्रांगण में सौंची पार्लर का आवंटन समाचार पत्रों में विज्ञाप्ति प्रकाशित कर आवेदन आमंत्रित कर अधिकतम किराया प्रस्तुत करने वाले आवेदक को आवंटित किया जाएगा। इन स्थानों पर पार्लर हेतु सभी वर्गों के आवेदक आवेदन प्रस्तुत करने के लिये पात्र होंगे परंतु किसी भी वर्ग विशेष हेतु आरक्षण लागू नहीं होंगा। अर्थात् अधिकतम किराया प्रस्तुत करने वाले आवेदक को पार्लर एजेंट चयनित किया जाएगा।

14. चयन उपरान्त पार्लर एजेन्ट द्वारा किसी भी परिस्थिति में पार्लर/बूथ को किसी अन्य व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा तथा न ही किसी अन्य व्यक्ति को किराये पर दिया जा सकेगा।

15. एजेन्ट द्वारा पार्लर/बूथ के बीड़ी, गुटखा, पान, तंबाकू, मदिरा आदि प्रतिबंधित सामग्री अथवा सौंची दूध एवं दुग्ध पदार्थों के प्रतिस्पर्धी ब्राण्ड (जैसे सौरभ, अमूल, इत्यादि) या खुला दूध एवं दुग्ध उत्पाद का विक्रय नहीं किया जाएगा। यदि ऐसा पाया जाता है तो आवंटन पूर्व सूचना के निरस्त किया जाएगा।



एम.पी. स्टेट को-ऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, भोपाल

प्रतिभूति राशि :

- वर्तमान में सभी दुग्ध संघों में स्थानीय बाजार के आधार पर प्रतिभूति राशि निर्धारित है। इसको ध्यान में रखते हुए प्रतिभूति राशि संघ स्तर पर ही निर्धारित की जा सकेगी एवं इसकी सूचना दुग्ध संघ द्वारा एमपीसीडीएफ को दी जावेगी।
- नगर निगम या स्थानीय निकायों द्वारा जो भी किराया मिल्क पार्लर/बूथ हेतु निर्धारित है वह आवंटी द्वारा जमा किया जावेगा।
- मिल्क पार्लर में आने वाला विद्युत व्यय आवंटी द्वारा जमा किया जावेगा।

अनुबंध :

1. पार्लर आवंटन के अनुबंध का प्रारूप विधिक सलाहकार से अनुमोदित कराया जावे। जिसे पार्लर एजेंट को संघ के साथ संपादित करना होगा।
2. यदि पार्लर एजेंट एवं दुग्ध संघ के बीच यदि कोई विवाद उत्पन्न होता है तो विवाद आर्बीटेशन हेतु संबंधित दुग्ध संघ के अध्यक्ष/प्राधिकृत अधिकारी को संदर्भित किया जाएगा एवं उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधकारी होगा। आर्बीटेशन की कार्यवाही आर्बीटेशन एड कॉसिल अधिनियम 1996 के अंतर्गत संदर्भित होगी।
3. समस्त विवादों के निराकरण के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र वह शहर होगा जहाँ संबंधित दुग्ध संघ का मुख्यालय होगा।

आरक्षण के प्रावधान :

1. समस्त शहरी/रेलवे पार्लर/बूथ आवंटन हेतु अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को राज्य सरकार के प्रावधान अनुसार आरक्षण लाभ दिया जाएगा।
2. आरक्षित वर्ग के आवेदकों को आवेदन के साथ जाति प्रमाण-पत्र भी स्वयं के द्वारा प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप सलग्न करनी होगी अन्यथा आवेदक के आवेदन को सामान्य वर्ग का आवेदन मान्य किया जाएगा।
3. यदि किसी आरक्षित वर्ग विशेष का कोई आवेदन पार्लर/बूथ आवंटन हेतु प्राप्त नहीं होता है तो सामान्य श्रेणी के आवेदकों में से निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए पार्लर/बूथ आवंटन किया जा सकेगा यद्यपि ऐसी स्थिति में संबंधित आरक्षित वर्ग का निर्धारित कोटा आगामी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ाया जाएगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विधवा एवं परित्यक्ता वर्ग के आवेदकों को चयन उपरांत निर्धारित प्रतिभूति राशि में 50% की छूट मान्य की जाएगी परन्तु किसी भी आरक्षित वर्ग के आवेदक को साची पार्लर/बूथ आवंटन की स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा दूध, धी एवं दुग्ध उत्पादों पर निर्धारित मार्जिन में किसी भी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी।



5. आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार रहेगी कि यदि दुध संघ द्वारा (उदाहरण स्वरूप) 25 पार्लरों हेतु एजेंट चयन किया जाना है तो सभी 25 स्थानों की 1 से लेकर 25 तक कमानुसार सूची बनाई जाएगी। सूची अनुसार चयन प्रक्रिया बढ़ते क्रम में पहले स्थान से अंतिम स्थान तक के लिए संपादित की जाएगी।
6. इस प्रक्रिया में निर्धारित सूची के क्रम अनुसार प्रत्येक पार्लर/बूथ के एजेंट के चयन हेतु प्राप्त सभी वर्गों के पात्र आवेदनों को समिलित कर तथा एजेंट का चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा।
7. लाटरी द्वारा इस प्रकार चयन प्रक्रिया में यदि किसी वर्ग के आवेदकों का आरक्षण अनुसार उपलब्ध संख्या में चयन नहीं हो पाता है तो सूची के उतनी संख्या के अंतिम क्रम के पार्लर/बूथ को उस वर्ग के आवेदकों को आवंटित किया जाएगा। यदि एक ही वर्ग के लिये आरक्षण नीति अनुसार उपलब्ध पार्लर संख्या से अधिक की संख्या में पात्र आवेदन प्राप्त होते हैं तो चयन लाटरी द्वारा किया जाएगा।
8. इस प्रकार जिस भी वर्ग के आवेदक का चयन होता जाएगा उस वर्ग विशेष हेतु नियमानुसार आरक्षित पार्लरों की संख्या आगामी चयन हेतु उपलब्ध कुल पार्लरों की संख्या में से कम होती जाएगी।
9. यदि एक, दो या बहुत कम संख्या में पार्लर/बूथ के आवंटन हेतु प्रक्रिया की जाती है तो पूर्व में आवंटित बूथ/पार्लर की वर्गवार संख्या को दृष्टिगत रखते हुए वर्ग विशेष हेतु उपलब्धता निर्धारित की जाएगी।
10. प्रत्येक वर्ग हेतु कुल आरक्षण अनुसार पार्लर/बूथ में से उसी वर्ग की महिला एवं पुरुषों हेतु क्रमशः 30 एवं 70 प्रतिशत पार्लर/बूथ आरक्षित होंगे। प्रत्येक लिंग (महिला या पुरुष) हेतु कुल आरक्षित पार्लरों में से 25 प्रतिशत उसी वर्ग में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले आवेदकों को तथा 75 प्रतिशत उसी वर्ग के गरीबी रेखा से ऊपर जीवन यापन करने वाले आवेदकों हेतु आरक्षित होंगे। जिसका विवरण पृथक से संलग्न है।

आवंटन हेतु प्राथमिकता का क्रम :

दुध संघ द्वारा पार्लर/बूथ आवंटन हेतु प्राथमिकता का क्रम निमानुसार रहेगा :

अ) प्रत्येक महिला श्रेणी में आंतरिक क्रम :

1. विधवा महिला।
2. परित्यक्ता (तलाकशुदा) महिला।
3. 45 वर्ष अथवा अधिक आयु की अविवाहित महिला।
4. निःशक्त जन।
5. अन्य सामान्य आवेदक

ब) प्रत्येक पुरुष श्रेणी में आंतरिक क्रम :

1. निःशक्त जन।
2. भूतपूर्व सैनिक

अन्य सामान्य आवेदक



अनुबंध पत्र का प्रारूप

यह अनुबंध मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, (जिन्हें आगे प्रथम पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) एवं श्री/श्रीमति/कु. पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री आयु वर्ष, निवासी (जिन्हें आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है) के मध्य निम्नलिखित शर्तों के अधीन निष्पादित किया जाता है :-

1. अ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा साँची दूध, घी एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय संबंधी व्यवस्था हेतु द्वितीय पक्ष के आवेदन पर डिपो/साँची पार्लर से दूध एवं दुग्ध पदार्थ विक्रय हेतु अधिकृत किया है।
- ब. यह कि यह नियुक्ति पूर्णतया अस्थाई है एवं प्रथम पक्ष द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के अनुबंध निरस्त किया जा सकेगा। द्वितीय पक्ष द्वारा 30 दिन का अग्रिम नोटिस देकर, यह अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा। नोटिस इस अनुबंध में वर्णित पते पर पंजीकृत/पावती डाक द्वारा भेजा जावेगा। यदि अन्यथा पूर्व में ही नया पता सूचित नहीं किया गया है तथा इस प्रकार भेजा गया पत्र/नोटिस प्राप्त कर लिया माना जावेगा। द्वितीय पक्ष एजेंटशिप त्यागने/छोड़ने हेतु प्रथम पक्ष को लिखित में कम से कम 30 दिवस पूर्व सूचित करेगा, किंतु प्रथम पक्ष द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने तक कार्य संपादन हेतु बाध्य होगा।
- स. यह कि अनुबंध नियुक्ति तिथि से तीसरे वित्तीय वर्ष अर्थात् वर्ष की दिनांक 31.03 तक की अवधि के लिए प्रभावशील माना जावेगा अर्थात् इस अनुबंध की अवधि प्रथम बार में नियुक्ति तिथि के वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक होगी। उसके बाद पुनः अनुबंध नवीनीकरण की अवस्था में अनुबंध की अवधि दिनांक 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। यदि द्वितीय पक्ष डिपो/साँची पार्लर निरंतर चलाना चाहता है तो उसे इसी अनुसार नया अनुबंध तीसरे वित्तीय वर्ष की दिनांक 31 मार्च तक समाप्त होने के एक माह पूर्व निष्पादित करना होगा अन्यथा डिपो/साँची पार्लर अन्य व्यक्ति को देने के लिए प्रथम पक्ष स्वतंत्र रहेगा।
- द. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा अनुबंध की किसी भी शर्त का उल्लंघन किया गया तो प्रथम पक्ष बिना नोटिस अनुबंध समाप्त कर सकेगा।
- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध निरस्त करने पर द्वितीय पक्ष को निर्धारित अवधि में डिपो/साँची पार्लर का कब्जा अधिकृत व्यक्ति/अधिकारी को देना होगा,



ऐसा न करने पर प्रथम पक्ष को अधिकार होगा कि वह डिपो/साँची पार्लर का कब्जा कर लें जिसमें द्वितीय पक्ष में को आपत्ती करने का अधिकार न होगा।

इ. यह कि यदि दोनों पक्षों में कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो यह विवाद आरबीट्रेशन हेतु अध्यक्ष दुग्ध संघ अथवा उनके द्वारा दिया गया अवार्ड दोनों पक्षों को मान्य एवं बंधनकारी होगा। आरबीट्रेशन की कार्यवाही आरबीट्रेशन एंड कासीलिवेशन एक्ट 1996 के अंतर्गत संपादित होगी।

ड. यह कि अनुबंध के अंतर्गत विषयों के संबंधित उभय पक्षों के मध्य उत्पन्न विवादों के संबंध में समस्त क्षेत्राधिकार सहकारी अधिनियम के अंतर्गत सक्षम न्यायालय को होगा।

- उ. समस्त विवादों के निपटारे के लिए न्यायिक कार्यक्षेत्र ही होगा।
2. अ. यह कि द्वितीय पक्ष इस नियुक्ति के वक्ता रु/- बतौर प्रतिमूर्ति राशि दुग्ध संघ में जमा करेंगे, जिस पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।
- ब. यह कि भविष्य में जमानत राशि में वृद्धि करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसे जमा करने हेतु द्वितीय पक्ष बाध्य रहेगा।
- स. यह कि अमानत राशि से डिपो/साँची पार्लर संबंधी किसी भी बकाया या नुकसान की राशि की भरपाई करने का अधिकार प्रथम पक्ष को रहेगा।
- उ. यह कि अनुबंध की पूर्ति हेतु दो समान व्यक्तियों की रु 25,000/- प्रत्येक की जमानत देना अनिवार्य होगा तथा उक्त जमानतनामे भी इस इकारानामे के जमानतदारों पर बंधनकारक होंगे।
- इ. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा सिक्यूरिटी वापसी के आवेदन करने के 6 माह पश्चात ही सिक्यूरिटी वापस की जाएगी।
- ई. द्वितीय पक्ष को एफएसएआई का नियमानुसार लायसेंस/रजिस्ट्रेशन, जीएसटी तथा अन्य समस्त वैद्यानिक दस्तावेज जो वर्तमान में प्रभावशील हैं तथा भविष्य में प्रभावशील होंगे। अपने व्यय से बनवाकर अनिवार्य रूप से दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने होंगे।
3. अ. द्वितीय पक्ष को आवंटित इस डिपो/साँची पार्लर को नीचे दर्शाई गई समयावधि में खुला रखना होगा।

समय

प्रातः..... बजे
सांय..... बजे

से

से

समय

..... बजे
..... बजे

ब. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा समय-समय पर निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों की विक्रय मूल्य तालिका एवं डिपो/साँची पार्लर खुलने व बंद होने की समय तालिका डिपो/साँची पार्लर पर लगाना आवश्यक होगा तथा तदानुसार ही डिपो/साँची पार्लर खोलना होगा।



- स. उपभोक्ता यदि दूध की घर पहुँच सेवा चाहता है तो द्वितीय पक्ष घर पहुँच सेवा के लिए बाध्य होगा। घर पहुँच सेवा सुविधा न देने पर प्रथम पक्ष द्वारा कार्य आवंटन निरस्त करने के लिए स्वतंत्र रहेगा।
- द. एजेंट को दोनों समय सुबह-शाम दूध का विक्रय करना अनिवार्य होगा।
4. अ. यह कि मिल्क डिपो/साँची पार्लर प्रथम पक्ष की सम्पत्ति है, जो कि नगर निगम/..... की भूमि पर निर्मित है। द्वितीय पक्ष को किसी अन्य व्यक्ति या संस्था को डिपो/साँची पार्लर या भूमि के हस्तांतरण करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- ब. यह कि नगर निगम/अन्य निकाय से पार्लर द्वारा विक्रय किये जाने वाले पदार्थों का विक्रय लायरेंस द्वितीय पक्ष को स्वयं के व्यय से प्राप्त करना होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष द्वारा समस्त कानून अथवा उपनियम का पालन आवश्यक होगा। नाप-तोल विभाग, नगर निगम, खद्य विभाग या अन्य प्रशासनिक विभाग द्वारा बनाये गये किसी भी नियम का उल्लंघन करने पर द्वितीय पक्षकार की जिम्मेदारी रहेगी।
- द. यह कि पार्लर में फ्रिज/डीप-फ्रीजर की व्यवस्था द्वितीय पक्ष को स्वयं अपने व्यय पर करनी होगी।
- इ. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित दूध एवं दुग्ध पदार्थों के अतिरिक्त ऐसा कोई पदार्थ द्वितीय पक्ष द्वारा पार्लर पर विक्रय नहीं किया जा सकेगा जो प्रथम पक्ष द्वारा उत्पादित पदार्थों के समानतर हो या उसके द्वारा प्रतिबंधित हो।
- ई. यह कि पार्लर पर होने वाले व्यय जैसे भूमि, किराया, विद्युत, पानी एवं अन्य व्यय एवं रख-रखाव व्यय द्वितीय पक्ष द्वारा वहन किया जाएगा एवं निर्धारित समय में संबंधित विभाग अथवा संघ के निर्देशानुसार संघ कार्यालय में जमा किया जावेगा।
- उ. यह कि द्वितीय पक्ष विक्रय स्थल का अनुचित प्रयोग नहीं करेंगे न ही किसी अन्य व्यक्ति को अन्य कार्य हेतु देंगे एवं विक्रय स्थल को स्वच्छ एवं दुर्गंधरहित रखेंगे।
5. अ. प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा द्वितीय पक्ष को प्रदाय की गई साँची दूध, धी एवं दुग्ध पदार्थ की पूर्ण राशि द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक के निर्धारित बैंक में प्रतिदिन अनिवार्य रूप से जमा कराया जाना होगा।
- ब. क्योंकि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के लिये स्वीकृत एजेंट बतौर कार्य/व्यवसाय संबंधित उपभोक्ताओं से कर रहा है। अतः उपभोक्ताओं से लेनदेन की समस्त जवाबदारी द्वितीय पक्ष की होगी वह किसी भी तरह उपजे विवाद के निराकरण वास्ते प्रथम पक्ष द्वारा शिं निर्देशों के पालनार्थ द्वितीय पक्ष बाध्य होगा।
- स. यह कि द्वितीय पक्ष को प्रथम पक्ष द्वारा निर्धारित उपभोक्ता दरों पर ही माल विक्रय करना होगा इससे अधिक दर पर विक्रय किये जाने पर द्वितीय पक्ष की एजेंसी तुरंत समाप्त की जा सकेगी।
- द. प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवांस कार्ड पुस्तिकाओं के तहत उपभोक्ताओं के बनाए गए एडवांस कार्ड के तहत प्राप्त राशि का लेखा जोखा द्वितीय पक्ष को रखना



होगा। प्रस्तुत पुस्तिकाओं के माध्यम से प्राप्त की गयी अग्रिम राशि का पूर्ण रूपये दुध सघ के खाते में जमा कराया जाना अनिवार्य होगा। प्रथम पक्ष द्वारा प्रदत्त एडवार्स कार्ड पुस्तिकाओं में की गयी हेराफेरी गंभीर धोखाधड़ी की अणी में यह कृत्य आवेगा तथा द्वितीय पक्ष पर पुलिस कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही के द्वारा प्रथम पक्ष को यह अधिकार होगा कि वह उपभोक्ताओं को उसकी राशि द्वितीय पक्ष से वापस करवा सके।

- इ. पार्लर/डिपो एजेंट द्वारा दूध विक्रय अग्रिम कार्ड, पार्लर किराया अथवा अन्य कोई भी राशि नकदी के रूप में दुध सघ के किसी भी कर्मचारी को नहीं दी जावे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में नकदी राशि जमा करना अति-आवश्यक है तो स्वयं दुध सघ की वित्त शाखा में जमा कर उसकी प्राप्ति अवश्य ली जावे। यह कि प्रथम पक्ष के अधिकृत वितरक द्वारा माल की अदायगी के समय ही द्वितीय पक्ष पैकेट/बाटल की सील, गुणवत्ता एवं मात्रा आदि को जांच कर संतुष्टि की दशा में ही माल प्राप्त करेंगे एवं सतर्कता से वितरण करेंगे। प्राप्ति के उपरांत माल की शुद्धता एवं सील की पूर्ण जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी।
- यह कि शासन के संबंधित विभाग जैसे कि नगर निगम अथवा खाद्य विभाग द्वारा सेम्पल की मांग की जाने पर सील लगी इकाई ही द्वितीय पक्ष को देवेंगे इस रांगड़ी में तुरंत प्रथम पक्ष को सूचित करेंगे यदि द्वितीय पक्ष ने सेम्पल हेतु लीकेज/बगैर सील की कोई इकाई था खुला। पदार्थ दिया हो तो उसकी जवाबदारी द्वितीय पक्ष की रहेगी। प्रथम पक्ष की कोई जवाबदारी नहीं रहेगी।
- यह कि पार्लर में प्रथम पक्ष द्वारा जो सामान, फर्नीचर एवं फिक्सचर्स उपलब्ध कराए हैं, एवं भविष्य में उपलब्ध कराए जायेंगे एवं केन, क्रेटस, बाटल प्रदाय किये जायेंगे किसी भी कारण उसकी ढूट फूट नुकसानी होने पर प्रचलित बाजार मूल्य से उसकी भरपाई द्वितीय पक्ष को करना होगी।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा वितरक के माध्यम से प्रदाय किये गये दूध एवं दुध पदार्थ एवं खाली क्रेटस, बाटल का लेखा-जोखा द्वितीय पक्ष को रखना होगा एवं मांग किये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा अधिकृत कर्मचारी/अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
- यह कि प्रथम पक्ष से कोई भी पत्र व्यवहार द्वितीय पक्ष स्वयं करेगा एवं प्रथम पक्ष द्वारा बुलाये जाने पर द्वितीय पक्ष व्यक्तिगत रूप से प्रथम पक्ष के कार्यालय में उपस्थित होगे।
- यह प्रथम पक्ष द्वारा विक्रय संबंधी जो नियम वर्तमान में प्रचलित हैं एवं भविष्य में समय-समय पर बनाए जायेंगे द्वितीय पक्ष को उसका पालन करना अनिवार्य होगा।
- यह कि प्रथम पक्ष द्वारा रामय-समय पर दिये गये पार्लर के समय एवं दुध पदार्थ के माह कमीशन की राशि संबंधी परिवर्तन के आदेश द्वितीय पक्ष पर बंधनकाकर रहेगा।



13. यह कि इस अनुबंध की शर्तें व नियमों में परिवर्तन करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा जिसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दी जावेगी, एवं द्वितीय पक्ष उसका पालन करेगा।
14. यह कि प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष को दिये गये विभिन्न विक्रय लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकने पर प्रथम पक्ष आवंटित निरस्ती या अन्य को आवंटन आदि की कार्यवाही के लिए स्वतंत्र होगा। कार्य संतोषजनक न होने की स्थिति में बिना सूचना एजेंटशिप प्रथम पक्ष द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।
15. यह कि सहकारी दुग्ध संघ **मर्यादित** (प्रथम पक्ष) द्वारा द्वितीय पक्षकार के नाम से आवंटित डिपो/साँची पार्लर बूथ में किसी अन्य प्रतिस्पर्धी दुग्ध पदार्थ के उत्पादनकर्ता के माल का विक्रय नहीं किया जावेगा और ना ही बीड़ी, गुलखा, पान, तंबाकु, मदिरा अथवा अन्य कोई भी प्रतिबंधित सामग्री का विक्रय किया जाएगा। इसका उल्लंघन करते पाये जाने पर प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष पर आवंटित की गयी उक्त डिपो/साँची पार्लर को तुरंत प्रभाव से निरस्त किया जा सकेगा।
16. यह अनुबंध दोनों पक्षों के अधिकृत वारिसों पर भी लागू होगा। इसके लिए द्वितीय पद्ध द्वारा विधि अनुसार श्री/श्रीमती/कु. को अधिकृत वारिस नामित किया गया है।

उपरोक्त अनुबंध की समस्त शर्तों को उभय पक्षों ने पढ़कर, समझ ली हैं एवं पूर्ण होश हवास में बिना किसी दबाव के हस्ताक्षरित कर निष्पादित की गयी है।

दिनांक

गवाह :

1. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

हस्ताक्षर

1. प्रथम पक्षकार

2. हस्ताक्षर :

नाम:

पता:

हस्ताक्षर

2. द्वितीय पक्षकार



जमानतदार—नामा

मैं जमानतदार सर्व आत्मज श्री आयु में है कि, कार्यालय प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष पुत्र श्री आयु निवासी के बीच आज दिनांक को पार्लर/बूथ अनुबंध लिखा गया है, इस अनुबंध के तहत यदि प्रथम पक्ष को कोई नुकसान हुआ तो उसके लिए ₹ 25,000 (लाख पचास हजार) तक के नुकसान की जवाबदारी हमारी रहेगी। अगर नुकसान की रशि द्वितीय पक्ष ने अदा नहीं की तो वह मैं, जमानतदार स्वयं प्रथम पक्ष को भुगतान करूँगा अन्यथा प्रथम पक्ष हमारी चल-अचल सम्पत्ति से वसूल करने के अधिकारी रहेंगे।

सादर जमानतदार प्रथम पक्ष के पक्ष में द्वितीय पक्ष द्वारा लिखे पार्लर/बूथ अनुबंध की पूर्ति के जमानत बतौर मैंने आज दिनांक को लिख दिया है।


गवाह

हस्ताक्षर:

नाम:
पता:
मोबाइल:

जमानतदार:

हस्ताक्षर:
नाम:
पता:
मोबाइल:



शपथ-पत्र

मैं आत्मज श्री आयु निवासी शपथपूर्वक यह
कथन करता हूँ कि

1. मैंने आज दिनांक को यह अनुबंध करार दुग्ध संघ सहकारी
मर्यादित से दूध एवं दुग्ध पदार्थ सॉची डिपो/सॉची पार्लर के माध्यम से विक्रय
हेतु किया है जिसकी सेवा शर्तें मुझे मान्य हैं।
2. यह कि शपथपत्र मैं प्रथम पक्षकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी दुग्ध संघ
सहकारी मर्यादित के साथ हुये अनुबंध के समर्थन में प्रस्तुत कर रहा हूँ तथा
यह शपथ-पत्र अनुबंध का अभिन्न अंग ही माना जायेगा।

शपथग्रहितासत्यापन

मैं सम्यापित करता हूँ कि शपथ पत्र के उपरोक्त चरण मेरी स्वयं की
जानकारी के अनुसार सत्य व सही है। सत्यापन आज दिनांक को

शपथग्रहिता